

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग

॥ कार्यालय आदेश ॥

सचिका सं०- 04/NULM-38/16

181

पटना, दिनांक- 31/5/17

दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के अन्तर्गत (SM&ID) घटक के अधीन 03 नगर निकायों में शहरी आजीविका केन्द्र (City Livelihood Centre) की अधिस्थापन हेतु प्रथम किश्त के रूप में प्रति आजीविका केन्द्र रू० 3,00,000/- (तीन लाख रू० मात्र) की दर से 03 X 3,00,000.00= कुल 9,00,000.00 रू० (नौ लाख रू० मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है। नगर निकायवार प्रति शहरी आजीविका केन्द्र प्रथम किश्त विमुक्त की जानेवाली स्वीकृत राशि की विवरणी निम्नवत् है :-

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	स्वीकृत सी०एल०सी० की सं०	शहरी आजीविका केन्द्र का नाम	प्रति सी०एल०सी० स्वीकृत राशि (रू० में)	प्रथम किश्त के रूप में विमुक्त की जानेवाली स्वीकृत राशि (रू० में)
1.	पटना नगर निगम	01	शहरी आजीविका केन्द्र, पटना	10,00,000.00	3,00,000.00
2.	सहरसा नगर परिषद	01	शहरी आजीविका केन्द्र, सहरसा	10,00,000.00	3,00,000.00
3.	शिवान नगर परिषद	01	शहरी आजीविका केन्द्र, शिवान	10,00,000.00	3,00,000.00
	कुल	03		30,00,000.00	9,00,000.00

(नौ लाख रू० मात्र)

- संबंधित नगर निकाय के नगर आयुक्त/नगर कार्यपालक पदाधिकारी स्वीकृत राशि की विमुक्ति स्थापित शहरी आजीविका केन्द्र के पूर्ण सत्यापन के उपरान्त ही करेंगे।
- स्वीकृत राशि की विमुक्ति-DAY-NULM योजना की संचित राशि से RTGS के माध्यम से किया जायेगा।
- प्रस्ताव पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विशेष सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापक :- 04/NULM-38/16/

1264

न०वि०एवं आ०वि०/दिनांक - 31/5/17

प्रतिलिपि :- नगर आयुक्त, पटना/ नगर कार्यपालक पदाधिकारी-सहरसा, शिवान /उप निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग/लेखापाल, बुडा/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/टीम लीडर, PMC-NULM, इन्दिरा भवन, 7वाँ तल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव।

13